मुकदमों का विवरण

सुषमा शिवकुमार दागा और ए. एन. आर. बनाम

मधुरकुमार रामकृष्णाजी बाजाज और ओ. आर. एस. (2023 की सिविल अपील संख्या 1854)

15 दिसंबर, 2023

[अनिरुद्ध बोस और सुधांशु धूलिया**,** जे**.** जे**.]** हेडनोट्स

विचार के लिए विषयःनिचली अदालत ने मामले को मध्यस्थता के लिए भेजा और उक्त फैसले को उच्च न्यायालय ने बरकरार रखा।क्या विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय ने मामले को उचित रूप से मध्यस्थता के लिए निर्दिष्ट किया है या विवाद ऐसी प्रकृति का है कि यह मध्यस्थता के लिए निर्दिष्ट किए जाने के लिए उत्तरदायी नहीं है, क्योंकि दिनांकित हस्तांतरण विलेख में कोई मध्यस्थता खंड नहीं था या यदि था, तो भी किसी भी मामले में मामला ऐसा है कि यह मध्यस्थता योग्य नहीं है।

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम**, 1996-**इसमें अपीलकर्ता**-**याचिकाकर्ताओं के नेतृत्व में एक दीवानी मुकदमा दायर किया गया था**,** जिसमें यह घोषणा करने की मांग की गई थी कि **17.12.2019** दिनांकित हस्तांतरण विलेख को वैध रूप से समाप्त कर दिया गया था और **17.09.2007,20.11.2007,30.11.2007,03.12.2007** और **27.02.2008** दिनांकित विभिन्न अन्य पंजीकृत विकास समझौते अमान्य थे**-**प्रतिवादी**-**प्रतिवादियों द्वारा दायर आवेदन यू**/**एस।**8** मध्यस्थता और सुलह अधिनियम**, 1996-**मामले को मध्यस्थता के लिए संदर्भित किया गया था**-**स्वामित्वः

आयोजित किया गयाःतत्काल मामले में, अपीलार्थियों की मोटे तौर पर तीन आपत्तियां हैंःपहली आपत्ति हस्तांतरण विलेख और विभिन्न विकास समझौतों में मध्यस्थता खंड की अनुपस्थिति के बारे में थी-दिनांकित आई. डी. 7 और दिनांकित आई. डी. 5, आई. डी. 8, आई. डी. 4, आई. डी. 2 और आई. डी. 6 के विकास समझौतों में मध्यस्थता खंड की अनुपस्थिति-दोनों त्रिपक्षीय समझौतों में मध्यस्थता खंड शामिल था-ट्रायल कोर्ट और उच्च न्यायालय ने सही माना है कि दो त्रिपक्षीय समझौतों में 'मध्यस्थता खंड' की व्यापक भाषा सिविल कोर्ट 910 के समक्ष अपीलकर्ताओं द्वारा उठाए गए विवाद को शामिल करेगी।

और इसलिए उचित रूप से मध्यस्थता के लिए संदर्भित किया गया-दूसरी आपत्ति यह थी कि अपीलकर्ताओं के नेतृत्व में दायर किया गया मुकदमा अचल संपत्ति यानी भूमि से संबंधित दस्तावेज़ को रद्द करने के लिए है और इसलिए यह आर. ई. एम. में कार्रवाई के बराबर है और इसलिए मध्यस्थता उपाय नहीं है-यह तय किया जाता है कि चाहे वह किसी विलेख को रद्द करने का मुकदमा हो या विलेख से उठ रहे अधिकारों की घोषणा, यह केवल व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई होगी और आर. ई. एम. में नहीं-तीसरी आपत्ति धोखाधड़ी के बारे में थी-अपीलकर्ताओं द्वारा धारा 8 के आवेदन पर अपनी आपत्ति में की गई धोखाधड़ी की याचिका कभी भी प्रमाणित नहीं हुई थी-धोखाधड़ी का एक गंजा आरोप लगाने के अलावा और कुछ नहीं है-इस अदालत ने लगातार कहा है कि धोखाधड़ी की याचिका गंभीर प्रकृति की होनी चाहिए।[पारस 6,18,19,20]

शहरों और अन्य संदर्भों की सूची

बूज़ एलन और हैमिल्टन इंक. बनामएस. बी. आई. होम फाइनेंस लिमिटेड और अन्य,

[2011] 7 एससीआर 310:(2011) 5 एस. सी. सी. 532; विद्या द्रोलिया बनाम दुर्गा ट्रेडिंग कार्पोरेशन।, [2020] 11 एससीआर 1001:(2021) 2 एस. सी. सी. 1; उत्तराखंड पूर्व सैनिक

कल्याण निगम लिमिटेड बनाम.उत्तरी कोयला क्षेत्र लिमिटेड, (2020) 2 एस. सी. सी. 455-पर निर्भर था।एनटीपीसी लिमिटेड बनामएस. पी. एम. एल. इन्फ्रा लिमिटेड, (2023) 9 एस. सी. सी. 385; बी. एस. एन. एल. बनाम नॉर्टेल

नेटवर्क, [2021] 2 एससीआर 644:(2021) 5 एस. सी. सी. 738; श्रीमती एम. हेमलता देवी

& ओआरएस. वी.बी. उदयश्री, 2023 आईएनएससी 870; वेदरफोर्ड ऑयल टूल मिडिल ईस्ट

लिमिटेड वी.बेकर ह्यूजेस सिंगापुर पीटीई 2022 एससीसी ऑनलाइन एससी 1464; डेक्कन

पेपर मिल्स बनाम रीजेंसी महावीर प्रॉपर्टीज, [2020] 13 एससीआर 427:(2021) 4 एस. सी. सी. 786; एलियन्स डेवलपर्स (पी) लिमिटेड बनाम।जनार्दन रेड्डी, 2015 एससीसी

ऑनलाइन हाईड 370; राशिद रजा बनाम सदफ अख्तर, [2019] 12 एससीआर 460:(2019) 8 एस. सी. सी. 710-संदर्भित।

अन्य मामलों के विवरणों में आयातित आदेश और आवेदन शामिल हैं

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः2023 की सिविल अपील सं. 1854।2021 के डब्ल्यू. पी. No.8836 में बॉम्बे में उच्च न्यायालय के न्यायिक निर्णय और आदेश दिनांक 10.12.2021 से।

रूपः

देवांश मोहता, शिरीष के. देशपांडे, सुश्री रुचा प्रवीण मंडलिक, किरण श्रीरंग मोहिते, सुश्री इशिता वाई. शाह, सुश्री सोनाक्षी मोंगा, मोहित गौतम, अपूर्व शर्मा, अधिवक्ता।अपीलार्थियों के लिए।

डॉ. एएम.सिंघवी, श्याम दीवान, वरिष्ठ अधिवक्ता।, श्रीराज ध्रुव, अंकुर सहगल, सुश्री स्वाति सुतार, सुश्री एस. लक्ष्मी अय्यर, कौस्तुभ सिंह, उदय अदितिया बनर्जी, चिराग नाइक, सिद्धार्थ सीम, ई. सी. अग्रवाल, तिशमपति सेन, सुश्री रिद्धी संचेती, अनुराग आनंद, सुश्री तासमिया तलेहा, अधिवक्ता।उत्तरदाताओं के लिए।

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

न्यायाधीश सुधांशु धूलिया, जे।

1. इस न्यायालय के समक्ष अपीलकर्ता एक दीवानी मुकदमे में वादी थे, जिसका नेतृत्व वर्ष 2021 में किया गया था, जिसमें यह घोषणा करने की मांग की गई थी कि 17.12.2019 दिनांकित परिवहन विलेख को अमान्य घोषित किया जाए, और यह कि 17.09.2007,20.11.2007,30.11.2007,03.12.2007 और 27.02.2008 दिनांकित पंजीकृत विकास समझौते वैध रूप से समाप्त हो गए हैं।प्रत्यर्थियों/प्रतिवादियों ने मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (इसके बाद "मध्यस्थता अधिनियम" के रूप में संदर्भित) की धारा 8 के तहत एक आवेदन दायर किया, जिसमें दिनांकित दो समझौतों 31.03.2007 और 25.07.2008 में मध्यस्थता खंड पर भरोसा करके मामले को मध्यस्थता के लिए संदर्भित किया गया।यह तर्क दिया गया कि उपरोक्त समझौते परिवहन विलेख और विकास समझौतों का आधार हैं जो मुकदमे का विषय हैं।ट्रायल कोर्ट ने प्रतिवादी के आवेदन को स्वीकार कर लिया और अपने दिनांक 13.10.2021 के आदेश के अनुसार मामले को मध्यस्थता के लिए भेज दिया।इस आदेश को बॉम्बे उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलकर्ताओं/वादियों द्वारा 2021 की रिट याचिका No.8836 में चुनौती दी गई थी, जिसे 10.12.2021 के आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया गया था।इन दोनों आदेशों से व्यथित होकर, अपीलार्थी/वादी अब इस न्यायालय के समक्ष हैं।

2. यहाँ हमारे द्वारा तय किया जाने वाला एकमात्र प्रश्न यह है कि क्या विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय ने मामले को उचित रूप से मध्यस्थता के लिए संदर्भित किया है या विवाद ऐसी प्रकृति का है कि यह मध्यस्थता के लिए संदर्भित होने के लिए उत्तरदायी नहीं है, क्योंकि दिनांकित हस्तांतरण विलेख में कोई मध्यस्थता खंड नहीं था या यदि था, तो भी किसी भी मामले में मामला ऐसा है कि यह मध्यस्थता योग्य नहीं है।मामले के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं:

मेसर्स एमराल्ड एकर्स प्राइवेट लिमिटेड (प्रत्यर्थी सं.2) स्वर्गीय श्री शिवकुमार डागा और उनकी पत्नी, श्रीमती सुषमा शिवकुमार डागा (अपीलार्थी संख्या 1) द्वारा रियल एस्टेट विकास के व्यवसाय को जारी रखने के लिए 18.04.2006 पर शामिल किया गया था।इसके बाद, शिवकुमार डागा (इसके बाद 'एस. डी.' के रूप में संदर्भित), मधुरकुमार रामकृष्णजी बजाज एंड ओ. आर. एस. (इसके बाद 'एम. बी.' के रूप में संदर्भित) और मेसर्स एमराल्ड एकर्स प्राइवेट लिमिटेड (इसके बाद 'ई. ए. पी. एल.' के रूप में संदर्भित) के बीच संपत्ति के विकास, व्यापार और सौदे के लिए और ऐसी आगे की संपत्तियों का अधिग्रहण करने के लिए दो त्रिपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए जो पक्षों के बीच पारस्परिक रूप से सहमत हों।दोनों दिनांकित 31.03.2007 और 25.07.2008 त्रिपक्षीय समझौतों में निम्नलिखित मध्यस्थता खंड शामिल हैंः

“पार्टियों के बीच यह सहमति है कि इस समझौते के संबंध में या इस समझौते को छूने या उससे उत्पन्न होने वाले किसी भी मामले के संबंध में पार्टियों के बीच किसी भी विवाद या मतभेद की स्थिति में, पार्टियां ऐसे विवादों और मतभेदों को मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के प्रावधानों या उसके किसी भी वैधानिक संशोधन के तहत मध्यस्थता के लिए संदर्भित करेंगी।”

3. शिवकुमार डागा की मृत्यु 08.05.2011 पर हुई, उन्होंने अपनी पत्नी (अपीलार्थी सं.1) और उसका बेटा (अपीलार्थी सं।2), जिसमें एक प्रोबेट याचिका पहले ही दायर की जा चुकी है और हमारे सामने रिकॉर्ड के अनुसार मामला अभी भी लंबित है।

4. अपीलकर्ताओं अर्थात एस. डी. की पत्नी और उनके बेटे ने तब एक मुकदमे का नेतृत्व किया, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह घोषणा करने की मांग की गई कि आई. डी. 1 दिनांकित प्रेषण विलेख को अमान्य घोषित किया जाए और दो त्रिपक्षीय समझौतों के अनुसार किए गए विकास समझौतों को वैध रूप से समाप्त घोषित किया जाए।5. आई. डी. 7 दिनांकित परिवहन विलेख को अमान्य घोषित करने की मांग की गई और आई. डी. 4, आई. डी. 1, आई. डी. 3, आई. डी. 2 और आई. डी. 8 दिनांकित विकास समझौतों को अपीलकर्ताओं द्वारा वैध रूप से समाप्त घोषित करने की मांग की गई।

6. 2007 और 2008 के त्रिपक्षीय समझौतों में मध्यस्थता समझौते की धारा 8 के तहत आवेदन के लिए पहली पूर्व शर्त को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अन्य सभी विकास समझौते उपरोक्त दो त्रिपक्षीय समझौतों में अपने स्रोत हैं।विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय 913

न्यायालय ने उचित रूप से अभिनिर्धारित किया है कि दो त्रिपक्षीय समझौतों दिनांक आई. डी. 1 और आई. डी. 2 में "मध्यस्थता खंड" की व्यापक भाषा सिविल न्यायालय के समक्ष अपीलार्थियों

द्वारा उठाए गए विवाद को शामिल करेगी, और इसलिए मामले को उचित रूप से मध्यस्थता के लिए भेजा गया है।

7. 'न्यायालय' की भूमिका अब किसी भी मामले में मध्यस्थता मामलों में बेहद सीमित है।मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 में निहित मध्यस्थता के अंतर्निहित सिद्धांतों में हमेशा न्यायिक प्राधिकरण द्वारा यथासंभव कम हस्तक्षेप होना चाहिए।

मध्यस्थता अधिनियम की धारा 5 निम्नानुसार हैः

5. न्यायिक हस्तक्षेप का विस्तार।— किसी भी बात के बावजूद

तत्काल प्रवृत्त किसी अन्य विधि में निहित, इस भाग द्वारा शासित मामलों में, कोई भी न्यायिक प्राधिकारी हस्तक्षेप नहीं करेगा, सिवाय इसके कि इस भाग में इस प्रकार का उपबंध किया गया हो।

वर्ष 2015 में मध्यस्थता अधिनियम में अन्य बातों के साथ-साथ अधिनियम की धारा 8 और धारा 11 दोनों में बड़े संशोधन किए गए थे, ताकि न्यायिक हस्तक्षेप की किसी भी संभावना को और कम किया जा सके और अब मध्यस्थता अधिनियम की संशोधित धारा 8 निम्नानुसार हैः

8. पक्षकारों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने की शक्ति जहां मध्यस्थता है

समझौता।— (1) एक न्यायिक प्राधिकरण, जिसके समक्ष किसी ऐसे मामले में कार्रवाई की जाती है जो एक मध्यस्थता समझौते का विषय है, यदि मध्यस्थता समझौते का कोई पक्षकार या उसके माध्यम से या उसके तहत दावा करने वाला कोई व्यक्ति, विवाद के सार पर अपना पहला बयान प्रस्तुत करने की तारीख के बाद लागू नहीं होता है, तो, सर्वोच्च न्यायालय या किसी भी अदालत के किसी भी निर्णय, डिक्री या आदेश के बावजूद, पक्षकारों को मध्यस्थता के लिए तब तक संदर्भित करता है जब तक कि वह यह नहीं मानता है कि प्रथम दृष्टया कोई वैध मध्यस्थता समझौता मौजूद नहीं है।

(2) उप-धारा (1) में निर्दिष्ट आवेदन पर तब तक विचार नहीं किया जाएगा जब तक कि वह मूल मध्यस्थता समझौते या उसकी विधिवत प्रमाणित प्रतियों के साथ न हो।

बशर्ते कि जहां मूल मध्यस्थता समझौता या उसकी एक प्रमाणित प्रतिलिपि उप-धारा (1) के तहत मध्यस्थता के संदर्भ के लिए आवेदन करने वाले पक्ष के पास उपलब्ध नहीं है, और उक्त समझौता या प्रमाणित प्रतिलिपि उस समझौते के दूसरे पक्ष द्वारा बरकरार रखी जाती है, तो ऐसा करने वाला पक्षकार

आवेदन करने वाले ऐसे आवेदन के साथ मध्यस्थता समझौते की एक प्रति और एक याचिका होगी जिसमें अदालत से अनुरोध किया जाएगा कि वह दूसरे पक्ष को उस अदालत के समक्ष मूल मध्यस्थता समझौते या इसकी विधिवत प्रमाणित प्रतियों को पेश करने के लिए कहे।

(3) इसके बावजूद कि उप-धारा (1) के तहत एक आवेदन किया गया है और यह मुद्दा न्यायिक प्राधिकरण के समक्ष लंबित है, एक मध्यस्थता शुरू की जा सकती है या जारी रखी जा सकती है और एक मध्यस्थ पुरस्कार दिया जा सकता है।

मध्यस्थता अधिनियम की धारा 8 और धारा 11 में संशोधन भारत के विधि आयोग, 2014 की 246 वीं रिपोर्ट में की गई निम्नलिखित सिफारिशों पर आधारित थेः

“33. इस संदर्भ में आयोग ने मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 8 और 11 में संशोधन की सिफारिश की है।न्यायिक हस्तक्षेप का दायरा केवल उन स्थितियों तक सीमित है जहां न्यायालय/न्यायिक प्राधिकरण यह मानता है कि मध्यस्थता समझौता मौजूद नहीं है या अमान्य है।जहाँ तक हस्तक्षेप की प्रकृति का संबंध है, यह अनुशंसा की जाती है कि यदि न्यायालय/न्यायिक प्राधिकरण मध्यस्थता समझौते को चुनौती देने वाले तर्क के खिलाफ प्रथम दृष्टया संतुष्ट होता है, तो वह मध्यस्थ की नियुक्ति करेगा और/या पक्षकारों को मध्यस्थता के लिए भेजेगा, जैसा भी मामला हो।संशोधन में परिकल्पना की गई है कि न्यायिक प्राधिकरण पक्षकारों को केवल तभी मध्यस्थता के लिए संदर्भित नहीं करेगा जब वह यह मानता है कि कोई मध्यस्थता समझौता मौजूद नहीं है या यह अमान्य है।यदि न्यायिक प्राधिकरण की राय है कि प्रथम दृष्टया मध्यस्थता समझौता मौजूद है, तो वह विवाद को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करेगा, और मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व को मध्यस्थता न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारित करने के लिए छोड़ देगा।हालाँकि, यदि न्यायिक प्राधिकरण यह निष्कर्ष निकालता है कि समझौता मौजूद नहीं है, तो निष्कर्ष शून्य होगा और प्रथम दृष्टया नहीं।”

मध्यस्थता और सुलह (संशोधन) विधेयक, 2015 द्वारा धारा 8 के संशोधन के लिए खंड पर टिप्पणी निम्नानुसार हैः

विधेयक के खंड 4 में मूल अधिनियम की धारा 8 में संशोधन करने का प्रयास किया गया है ताकि यह निर्दिष्ट किया जा सके कि न्यायिक प्राधिकरण पक्षों को मध्यस्थता के लिए तब तक भेजेगा जब तक कि वह यह नहीं मानता है कि प्रथम दृष्टया कोई वैध मध्यस्थता समझौता मौजूद नहीं है।उप-धारा (2) के नीचे एक परंतुक यह उपबंध करने के लिए अंतःस्थापित किया गया है कि जहां 915

सुषमा शिवकुमार दागा और ए. एन. आर. बनाम.मधुरकुमार रामकृष्णाजी बाजाज और ओआरएस [सुधानशु धूलिया, जे.] 916

मूल मध्यस्थता समझौता या उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि उस पक्ष के पास उपलब्ध नहीं है जो उप-धारा (1) के तहत आवेदन करता है, और दूसरे पक्ष द्वारा रखी जाती है, ऐसा पक्षकार उप-

धारा (1) के तहत आवेदन के साथ मध्यस्थता समझौते की एक प्रति अदालत को देगा ताकि वह दूसरे पक्ष से मूल मध्यस्थता समझौते या उसकी विधिवत प्रमाणित प्रतियों को अदालत के समक्ष पेश करने के लिए कहे।

धारा 8 (साथ ही मध्यस्थता अधिनियम की धारा 11) में संशोधन लाने का मूल उद्देश्य मध्यस्थता के मामलों में न्यायिक प्राधिकरण के दायरे को कम करना था, सिवाय उस आधार के जहां प्रथम दृष्टया कोई वैध मध्यस्थता समझौता मौजूद नहीं है।

8. वर्तमान मामले में, 2007 के साथ-साथ 2008 का त्रिपक्षीय समझौता, बाद के सभी समझौतों, परिवहन आदि का आधार है। मध्यस्थता खंड भी अपने दायरे में बहुत व्यापक है, जैसा कि हम पहले ही देख चुके हैं।दोहराव के लिए, 2008 के त्रिपक्षीय समझौते में कहा गया है कि

"इन समझौतों के संबंध में या इस समझौते से संबंधित या उत्पन्न होने वाले किसी भी मामले के संबंध में किसी भी विवाद को मध्यस्थता के लिए संदर्भित किया जाएगा।"

इसलिए अपीलार्थियों का यह तर्क भी सही नहीं है कि दीवानी मुकदमे में उठाया गया विवाद मध्यस्थता योग्य नहीं है।विवाद एक संपत्ति से संबंधित है जो 31.03.2007 और 25.07.2008 दिनांकित दो त्रिपक्षीय समझौतों का विषय है।

9. दिनांक 31.03.2007 के त्रिपक्षीय समझौते में पक्षों का इरादा स्पष्ट रूप से संपत्तियों का अधिग्रहण और विकास करना था, जो वास्तव में विकास समझौतों (अपीलकर्ताओं द्वारा वैध रूप से समाप्त घोषित किए जाने की मांग) के माध्यम से किया गया था।दिनांकित 31.03.2007 त्रिपक्षीय समझौते का खंड 11 निम्नानुसार हैः

"एस. डी. और एम. बी. ने नियत समय में संपत्ति के विकास, आगे के व्यापार और सौदे के लिए सहमति व्यक्त की है और ऐसी और संपत्तियों का अधिग्रहण करने के लिए भी सहमति व्यक्त की है जो पार्टियों के बीच पारस्परिक रूप से सहमत हो सकती हैं और ऐसा कोई भी आगे का अधिग्रहण जो एक विशेष उद्देश्य वाहन के माध्यम से किया जा सकता है अर्थात कंपनी जिसमें एम. बी. और एस. डी. की 90 के अनुपात में हिस्सेदारी होगीः10."

10. यह सच है कि बूज़ एलन और हैमिल्टन इंक. बनाम.एस. बी. आई. होम फाइनेंस लिमिटेड और अन्य, (2011) 5 एस. सी. सी. 532 इस न्यायालय ने अलग रखा था।

ऐसे मामले जहां विवाद पूरी तरह से गैर-मध्यस्थ था, जैसे कि वैवाहिक

विवाद, संरक्षकता विवाद, या यहां तक कि हम उपभोक्ताओं से संबंधित विवादों को जोड़ सकते हैं, जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के रूप में जाने जाने वाले पूरी तरह से अलग संसदीय कानून द्वारा शासित होते हैंः

"35. मध्यस्थ न्यायाधिकरण निजी मंच हैं जिन्हें विवाद के पक्षों द्वारा स्वेच्छा से चुना जाता है, ताकि वे देश के कानूनों के तहत गठित अदालतों और न्यायाधिकरणों के स्थान पर अपने विवादों पर निर्णय ले सकें।प्रत्येक दीवानी या वाणिज्यिक विवाद, या तो संविदात्मक या गैर-संविदात्मक, जिसे अदालत द्वारा तय किया जा सकता है, सिद्धांत रूप में मध्यस्थता द्वारा निर्णय लेने और हल करने में सक्षम है।

जब तक कि मध्यस्थ न्यायाधिकरणों की अधिकारिता को या तो स्पष्ट रूप से या आवश्यक निहितार्थ द्वारा बाहर नहीं किया जाता है।कार्यवाहियों की कुछ श्रेणियों का निर्णय विधायिका द्वारा सार्वजनिक नीति के मामले में विशेष रूप से सार्वजनिक मंचों के लिए आरक्षित है।कुछ अन्य श्रेणियों के मामले, हालांकि सार्वजनिक मंचों (न्यायालयों और न्यायाधिकरणों) द्वारा निर्णय के लिए स्पष्ट रूप से आरक्षित नहीं हैं, आवश्यक निहितार्थ से निजी मंचों के दायरे से बाहर हो सकते हैं।नतीजतन, जहां कारण/विवाद अविवेकी है, वह न्यायालय जहां एक मुकदमा लंबित है, अधिनियम की धारा 8 के तहत पक्षकारों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने से इनकार कर देगा, भले ही पक्षकार ऐसे विवादों के निपटारे के लिए मध्यस्थता पर सहमत हुए हों।"

11. इसके बाद, यह न्यायालय विद्या द्रोलिया बनाम दुर्गा ट्रेडिंग कॉर्प में।,

(2021) 2 एस. सी. सी. 1, यह निर्धारित करने के लिए चार गुना परीक्षण निर्धारित करता है कि मध्यस्थता समझौते में विवाद का विषय कब मध्यस्थता योग्य नहीं है।ये थेः

"(1) जब कार्रवाई का कारण और विवाद का विषय आर. ई. एम. में कार्रवाई से संबंधित होता है, जो आर. ई. एम. में अधिकारों से उत्पन्न होने वाले व्यक्ति में अधीनस्थ अधिकारों से संबंधित नहीं होता है।

(2) जब कार्रवाई का कारण और विवाद का विषय तीसरे पक्ष के अधिकारों को प्रभावित करता है, तो केंद्रीकृत निर्णय की आवश्यकता होती है, और आपसी निर्णय उचित और प्रवर्तनीय नहीं होगा।

(3) जब कार्रवाई का कारण और विवाद का विषय राज्य के अविभाज्य संप्रभु और सार्वजनिक हित के कार्यों से संबंधित हो और इसलिए आपसी निर्णय अप्रवर्तनीय होगा।

सुषमा शिवकुमार दागा और ए. एन. आर. बनाममधुरकुमार रामकृष्णाजी बाजाज और ओआरएस [सुधानशु धूलिया, जे.] 918

917

(4) जब विवाद का विषय स्पष्ट रूप से या आवश्यक निहितार्थ से अनिवार्य क़ानूनों के अनुसार गैर-मध्यस्थता योग्य हो।"

फिर भी, सिविल न्यायालय के समक्ष मामला किसी भी श्रेणी में नहीं आता है, जिसे ऊपर उल्लिखित बूज़ ऐलन (ऊपर) या विद्या ड्रोलिया (ऊपर) में से किसी में भी देखा गया है।

12. विद्या द्रोलिया (ऊपर) में, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि न्यायालय केवल उन दुर्लभ मामलों में धारा 8 के तहत या अधिनियम की धारा 11 के तहत निर्देश को अस्वीकार कर देगा जहां न्यायालय को यकीन है कि या तो मध्यस्थता समझौता मौजूद नहीं है, या विवाद स्वयं "स्पष्ट रूप से गैर-मध्यस्थता योग्य" है।यह

एनटीपीसी लिमिटेड बनाम में इस न्यायालय द्वारा दोहराया गया था।एस. पी. एम. एल. इन्फ्रा लिमिटेड (2023) 9 एस. सी. सी. 385।

13. बी. एस. एन. एल. बनाम नॉर्टेल नेटवर्क (2021) 5 एस. सी. सी. 738 मामले में इस अदालत ने फैसला सुनाया था।

मध्यस्थ न्यायाधिकरण के उस संदर्भ को न्यायालय द्वारा केवल तभी अस्वीकार किया जा सकता है जब विवाद गैर-मध्यस्थ हो।उदाहरण के लिए, उपभोक्ता विवाद जो विवादों की पूरी तरह से अलग प्रकृति के होते हैं, एक विशेष कानून के तहत वैधानिक रूप से संरक्षित होते हैं।

(श्रीमती**.** एम**.** हेमलता देवी और अन्य बनामबी**.** उदयश्री **2023** आईएनएससी **870)**।

14. किसी भी मामले में, मध्यस्थता अधिनियम की धारा 16 मध्यस्थ न्यायाधिकरण को अपने अधिकार क्षेत्र पर शासन करने की शक्ति सहित अपार शक्तियां देती है।मध्यस्थता अधिनियम की धारा 16 निम्नानुसार हैः

“16. माध्यस्थम न्यायाधिकरण की अपनी अधिकारिता पर निर्णय लेने की क्षमता।—(1) मध्यस्थ न्यायाधिकरण मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व या वैधता के संबंध में किसी भी आपत्ति पर निर्णय सहित अपनी अधिकारिता पर निर्णय दे सकता है, और उस उद्देश्य के लिए, -

(क) एक मध्यस्थता खंड जो एक अनुबंध का हिस्सा है, उसे अनुबंध की अन्य शर्तों से स्वतंत्र एक समझौते के रूप में माना जाएगा; और (ख) मध्यस्थता न्यायाधिकरण द्वारा यह निर्णय कि अनुबंध अमान्य है, न्यायिक रूप से मध्यस्थता खंड की अयोग्यता को लागू नहीं करेगा।(2) एक याचिका कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण के पास अधिकार क्षेत्र नहीं है, बचाव के बयान को प्रस्तुत करने के बाद नहीं उठाया जाएगा; हालाँकि, एक पक्ष को केवल इस कारण से ऐसी याचिका उठाने से रोका नहीं जाएगा कि उसने एक मध्यस्थ की नियुक्ति की है या उसकी नियुक्ति में भाग लिया है।

(3) एक याचिका कि मध्यस्थता न्यायाधिकरण अपने अधिकार के दायरे को पार कर रहा है, जैसे ही मध्यस्थता कार्यवाही के दौरान कथित रूप से अपने अधिकार के दायरे से बाहर का मामला उठाया जाता है, उठाया जाएगा।

(4) मध्यस्थ न्यायाधिकरण, उप-धारा (2) या उप-धारा (3) में निर्दिष्ट मामलों में से किसी एक में, बाद की याचिका स्वीकार कर सकता है यदि वह देरी को उचित समझता है।

(5) माध्यस्थम न्यायाधिकरण उप-धारा (2) या उप-धारा (3) में निर्दिष्ट याचिका पर निर्णय लेगा और जहां माध्यस्थम न्यायाधिकरण याचिका को अस्वीकार करने का निर्णय लेता है, वहां माध्यस्थम कार्यवाही जारी रखेगा और एक माध्यस्थम पुरस्कार देगा।

(6) इस तरह के मध्यस्थता पुरस्कार से व्यथित एक पक्ष धारा 34 के अनुसार इस तरह के मध्यस्थता पुरस्कार को अलग करने के लिए आवेदन कर सकता है।"

15. मध्यस्थता खंड के अस्तित्व और वैधता सहित सभी क्षेत्राधिकार संबंधी मुद्दों पर मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा विचार किया जा सकता है।दूसरे शब्दों में, मध्यस्थ न्यायाधिकरण अपनी क्षमता पर निर्णय लेने के लिए सक्षम है।इस पहलू पर हाल ही में एक निर्णय में विचार किया गया है

इस न्यायालय ने उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड बनाम.उत्तरी कोयला क्षेत्र लिमिटेड (2020) 2 एस. सी. सी. 455।यह कहा गया हैः

" 7.11."कोम्पेटेंज़-कोम्पेटेंज़" के सिद्धांत, जिसे "कम्पेटेंस-कम्पेटेंस" या "कम्पेटेंस डे ला मान्यता प्राप्त" के रूप में भी संदर्भित किया जाता है, का तात्पर्य है कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण सशक्त है और सभी अधिकार क्षेत्र के मुद्दों का निर्धारण करने और मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व या वैधता सहित अपने स्वयं के अधिकार क्षेत्र पर शासन करने की क्षमता रखता है।इस सिद्धांत का उद्देश्य न्यायिक हस्तक्षेप को कम करना है, ताकि मध्यस्थता प्रक्रिया को सीमा पर विफल नहीं किया जा सके, जब एक पक्ष द्वारा प्रारंभिक आपत्ति उठाई जाती है।हालांकि, कोम्पेटेंज़-कोम्पेटेंज़ का सिद्धांत अपवाद के अधीन है, यानी जब मध्यस्थता समझौते पर ही धोखाधड़ी या धोखे से प्राप्त होने के रूप में महाभियोग चलाया जाता है।यह अपवाद उन मामलों पर भी लागू होगा जहां बातचीत की प्रक्रिया में पक्षों ने अंतिम अनुबंध को निष्पादित करने से पहले एक पूर्ववर्ती कदम के रूप में एक मसौदा समझौते में प्रवेश किया होगा।919

सुषमा शिवकुमार दागा और ए. एन. आर. बनाममधुरकुमार रामकृष्णाजी बाजाज और ओआरएस [सुधानशु धूलिया, जे.] 920

मसौदा समझौता केवल मध्यस्थता का प्रस्ताव होगा, न कि समझौते की शर्तों की स्पष्ट स्वीकृति।अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 7 में अनुबंध की स्वीकृति को पूर्ण और अयोग्य होने की आवश्यकता है [ड्रेसर रैंड एस. ए. बनाम।बिंदल एग्रो केम लिमिटेड, (2006) 1 एस. सी. सी. 751।बी. एस. एन. एल. बनाम टेलीफोन केबल्स लिमिटेड, (2010) 5 एस. सी. सी. 212 भी देखें।(2010) 2 एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 352 पीएसए मुंबई इन्वेस्टमेंट्स पीटीई का संदर्भ लें। लिमिटेड वी.जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट (2018) 10 एस. सी. सी. 525:(2019) 1 एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 1]यदि कोई मध्यस्थता समझौता वैध या अस्तित्वहीन नहीं है, तो मध्यस्थ न्यायाधिकरण विवादों पर निर्णय लेने के लिए अधिकार क्षेत्र

ग्रहण नहीं कर सकता है।यदि मध्यस्थता समझौता लिखित रूप में नहीं है या विवाद मध्यस्थता समझौते के दायरे से बाहर हैं तो मध्यस्थ की नियुक्ति से इनकार किया जा सकता है।न्यूयॉर्क कन्वेंशन के अनुच्छेद V (1) (a) में कहा गया है कि किसी पुरस्कार की मान्यता और प्रवर्तन से इनकार किया जा सकता है यदि मध्यस्थता समझौता "उस कानून के तहत मान्य नहीं है जिसके अधीन पक्षों ने इसे किया है या उस पर कोई संकेत देने में विफल रहने पर, उस देश के कानून के तहत मान्य नहीं है जहां पुरस्कार दिया गया था।"

7.12.1996 के अधिनियम में अंतर्निहित विधायी उद्देश्य पक्ष की स्वायत्तता और मध्यस्थता प्रक्रिया में न्यूनतम न्यायिक हस्तक्षेप है।इस व्यवस्था के तहत, एक बार मध्यस्थ की नियुक्ति या न्यायाधिकरण का गठन होने के बाद, सभी मुद्दों और आपत्तियों पर मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा निर्णय लिया जाना है।

7.13.धारा 16 के प्रावधानों और पूर्व-संदर्भ स्तर पर न्यायिक हस्तक्षेप को प्रतिबंधित करने की विधायी नीति को देखते हुए, सीमा के मुद्दे पर मध्यस्थ द्वारा निर्णय लेने की आवश्यकता होगी। धारा 16 की उप-धारा (1) में प्रावधान है कि मध्यस्थता न्यायाधिकरण मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व या वैधता के संबंध में "किसी भी आपत्ति सहित" अपनी अधिकारिता पर निर्णय ले सकता है।धारा 16 एक समावेशी प्रावधान के रूप में है, जो मध्यस्थ न्यायाधिकरण की अधिकारिता से संबंधित सभी प्रारंभिक मुद्दों को समझेगी।सीमा का मुद्दा एक अधिकार क्षेत्र का मुद्दा है, जिसका निर्णय धारा 16 के तहत मध्यस्थ द्वारा किया जाना आवश्यक होगा, न कि अधिनियम की धारा 11 के तहत पूर्व-संदर्भ चरण में उच्च न्यायालय द्वारा। एक बार जब मध्यस्थता समझौते का अस्तित्व विवादित नहीं होता है, तो सभी मुद्दे, जिनमें शामिल हैं

क्षेत्राधिकार संबंधी आपत्तियों का निर्णय मध्यस्थ द्वारा किया जाना है।”

16. मध्यस्थ न्यायाधिकरण को ये शक्तियाँ देने के पीछे का उद्देश्य मध्यस्थता मामलों में न्यायिक हस्तक्षेप को कम करना है।में।

वेदरफोर्ड ऑयल टूल मिडिल ईस्ट लिमिटेड बनामबेकर ह्यूजेस सिंगापुर

पी. टी. ई. 2022 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 1464, इस अदालत ने कहा था कि मध्यस्थता अधिनियम की धारा 16 के एक नंगे अवलोकन से संकेत मिलेगा कि एक अनुबंध में मध्यस्थता खंड अपने आप में एक स्वतंत्र समझौता होगा और मध्यस्थ को इसके अस्तित्व और वैधता पर निर्णय लेने का अधिकार है।

17. 2015 के संशोधन के बाद, मुख्य रूप से अदालत को केवल यह देखना है कि क्या एक वैध मध्यस्थता समझौता मौजूद है।इसके अतिरिक्त, मामलों की स्पष्ट गैर-मध्यस्थता, जैसे कि जहां

समझौते का एक पक्ष सांविधिक रूप से संरक्षित है, जैसे कि एक उपभोक्ता को "अदालत द्वारा भी देखा जाना चाहिए" (बूज़ एलन सुप्रा)।ऊपर बताए गए संकीर्ण क्षेत्र से कम, धारा 11 (6) या धारा 8 के स्तर पर न्यायिक जांच का दायरा बेहद सीमित है।

फिर भी धारा 8 और धारा 11 दोनों आवेदनों पर आपत्तियां उठाई जाएंगी।ये आपत्तियाँ वास्तविक हो सकती हैं, जैसे कि जहाँ कोई मध्यस्थता खंड नहीं है या जहाँ मामला स्वयं गैर-मध्यस्थ है, लेकिन अक्सर ये आपत्तियाँ केवल निवारण तंत्र की एक परिभाषित प्रक्रिया के लिए पक्षों की वैधानिक प्रतिबद्धता से बाहर निकलने के लिए हो सकती हैं।

18. वर्तमान मामले में प्रतिवादियों द्वारा दायर धारा 8 आवेदन पर अपीलार्थियों की मोटे तौर पर तीन आपत्तियां हैं जिन्हें नीचे दिए गए दोनों न्यायालयों द्वारा पहले ही अनुमति दी जा चुकी है। दिनांकित हस्तांतरण विलेख में मध्यस्थता खंड की अनुपस्थिति और विकास समझौतों के बारे में पहली आपत्ति पर पिछले पैराग्राफ में पहले ही विस्तार से चर्चा की जा चुकी है।

19. दूसरा यह है कि अपीलकर्ताओं द्वारा दायर किया गया मुकदमा अचल संपत्ति यानी भूमि से संबंधित दस्तावेज़ को रद्द करने के लिए है और इसलिए यह आरईएम में कार्रवाई के बराबर है और इसलिए मध्यस्थता उपाय नहीं है।हालाँकि, यह सवाल अब एकीकृत नहीं है।इस मामले में इस न्यायालय द्वारा इस पहलू पर विस्तृत विश्लेषण किया गया है

डेक्कन पेपर मिल्स बनाम रीजेंसी महावीर प्रॉपर्टीज**, (2021) 4** एस**.** सी**.** सी**.** सुषमा शिवकुमार दागा और ए**.** एन**.** आर**.** बनाम।

मदुरकुमार 921 रामकृष्णाजी बाजाज और ओआरएस [सुधानशु धूलिया, जे.] 786, इसमें इस अदालत ने सभी प्रासंगिक उदाहरणों और मामले के कानूनों का उल्लेख करने के बाद यह निर्णय दिया है कि चाहे वह किसी विलेख को रद्द करने का मुकदमा हो या विलेख से उत्पन्न होने वाले अधिकारों की घोषणा, यह केवल व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई होगी न कि रिम में।एलियन्स डेवलपर्स (पी) लिमिटेड बनाम में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की खंड पीठ का निर्णय।

जनार्दन रेड्डी, 2015 एस. सी. सी. ऑनलाइन हाईड 370 को गलत माना गया था।

जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि विशिष्ट राहत अधिनियम की धारा 31 के तहत एक मुकदमा आरईएम में एक कार्रवाई के बराबर है और यह न्यायिक कार्य केवल सक्षम दीवानी न्यायालय द्वारा किया जा सकता है और शक्तियों का प्रयोग एक मध्यस्थ द्वारा नहीं किया जा सकता है।यह अभिनिर्धारित करने के लिए कि किसी दस्तावेज़ को रद्द करने के लिए धारा 31 का मुकदमा एक कार्रवाई के बराबर है, न्यायालय का मूल आधार गलत माना गया था।विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963 के पूरे दायरे और दायरे पर विचार किया गया और डेक्कन पेपर मिल्स (उपरोक्त) में, इस तरह की कार्रवाई को आरईएम में रखने के लिए कानून में विसंगतियों पर चर्चा की गई और यह माना गया कि विशिष्ट राहत अधिनियम के तहत मांगी गई राहत व्यक्तिगत रूप से एक कार्रवाई के अलावा और कुछ नहीं है।

20. तीसरी आपत्ति धोखाधड़ी के संबंध में है।अपीलार्थियों द्वारा धारा 8 आवेदन पर अपनी आपत्ति में की गई धोखाधड़ी की याचिका की कभी पुष्टि नहीं हुई है।धोखाधड़ी का गंजा आरोप लगाने के अलावा और कुछ नहीं है।इस न्यायालय ने लगातार यह अभिनिर्धारित किया है कि धोखाधड़ी की याचिका गंभीर प्रकृति की होनी चाहिए ताकि किसी व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र को हटाया जा सके।

मध्यस्थ।राशिद रजा बनाम सदफ अख्तर, (2019) 8 एस. सी. सी. 710 में, यह

न्यायालय ने दो शर्तें निर्धारित कीं जिन्हें न्यायालय द्वारा मामले को मध्यस्थ को भेजने से इनकार करने से पहले पूरा किया जाना चाहिए, एक ऐसा मंच जो एक समझौते में पक्षों द्वारा सचेत रूप से तय किया जाता है।पहला यह है कि क्या याचिका पूरे अनुबंध में व्याप्त है और सबसे बढ़कर, मध्यस्थता समझौता, इसे अमान्य बनाता है या दूसरा, क्या धोखाधड़ी का आरोप पक्षों के आंतरिक मामलों को छूता है, जिसका सार्वजनिक क्षेत्र में कोई निहितार्थ नहीं है।एक मध्यस्थ के अधिकार क्षेत्र को हटाने के लिए आरोपों का सार्वजनिक क्षेत्र में कुछ निहितार्थ होना चाहिए, यदि संबंधित पक्षों के बीच धोखाधड़ी का आरोप सख्ती से मौजूद है, तो इसे धोखाधड़ी की गंभीर प्रकृति नहीं कहा जाएगा और इसलिए मध्यस्थता के लिए प्रतिबंधित नहीं किया जाएगा।

21. वर्तमान मामले में, इसलिए इस बात में कोई अस्पष्टता नहीं है कि दोनों त्रिपक्षीय समझौते दिनांकित 31.03.2007 और 25.07.2008 922 हैं।

इसमें एक मध्यस्थता खंड होता है, जो बाद के सभी समझौतों का आधार बनता है, जिसमें अपीलकर्ताओं द्वारा वैध रूप से समाप्त घोषित किए जाने वाले समझौते और अमान्य घोषित किए जाने वाले हस्तांतरण विलेख शामिल हैं।निचली अदालत के साथ-साथ उच्च न्यायालय दोनों ने तथ्यों के साथ-साथ कानून पर भी सही निष्कर्ष दिया है।हम इस मामले में हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश नहीं पाते हैं।इसलिए इस अपील का कोई बल नहीं है और इसे खारिज कर दिया जाता है।

लागत के बारे में कोई आदेश नहीं।

द्वारा तैयार किए गए हेडनोटः

याचिका खारिज कर दी गई।

अंकित ज्ञान